अध्याय – IX

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण

1. प्रस्तावना

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया था जहां ग्रिड की संपर्कता या तो व्यवहार्य नहीं थी या किफायती नहीं थी और जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में शामिल नहीं थे। ऐसे गांवों को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर विभिन्न अक्षय ऊर्जा (आरई) स्रोतों जैसे लघु जल विद्युत (एसएचपी), बायोमास गैसीकरण आधारित विद्युत उत्पादन प्रणाली, सौर शक्ति संयंत्र (एसपीपी) आदि के माध्यम से वितरित शक्ति उत्पादन विधि में विद्युत/प्रकाश के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी थी।

आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं में गांव की दलित बस्तियों सहित गांव/बस्तियों के सभी परिवारों को कवर करना था और विद्युत की उपलब्धता के लिए क्षमता सृजन शामिल था, जैसा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 में निर्धारित किया गया था अर्थात न्यूनतम एक किलो वाट प्रति घण्टा प्रतिदिन प्रत्येक परिवार के लिए। तथापि यदि राज्य सरकारें यह निष्कर्ष निकालती कि एक किलो वाट प्रति घण्टा/परिवार/दिन का प्रतिमान संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण विभिन्न आरई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लागत प्रभावी रीति में प्राप्ति योग्य नही है तब अन्तिम उपाय के रूप में वे गांव में प्रत्येक इच्छुक परिवार के लिए सौर घर प्रकाश व्यवस्था (एसएचएलएस) के माध्यम से कम से कम बुनियादी प्रकाश सुविधाएं देने का निर्णय कर सकती थीं। तथापि सरकार की राष्ट्रीय ग्राम विद्युतीकरण नीति 2006 के अनुसार एसपीवी जैसी एकाकी प्रकाश प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले गांवों/बस्तियों को "विद्युतीकृत" के रूप में नामित नही किया जाना था।

कार्यक्रम जिला स्तर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम परिषदों आदि की सक्रिय भागीदारी से राज्य नोडल अभिकरण (एसएनए)/ऊर्जा विभागों/विद्युत बोर्डों/कम्पनी संस्थाओं के माध्यम से लागू होना था। तथापि राज्य सरकारों को उस नोडल अभिकरण को अधिसूचित करना था जो राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों के विद्युतीकरण से संबंधित सभी प्रयासों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता।

2. लक्ष्य और उपलब्धि

2.1. दूरस्थ गांवों/बस्तियों के विद्युतीकरण की स्थिति

10 वीं पंचवर्षीय योजना (पंवयो) के अंत में, 3,254 दूरस्थ गांवों/बस्तियों को कार्यक्रम के तहत कवर किया गया था। 2007–14 की अवधि के लिए राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां अनुबन्ध XVI में दिए गए हैं। एमएनआरई के अनुसार 2007–14 की अवधि के लिए समेकित स्थिति नीचे तालिका में 34 में विस्तार से दी गई है:

तलिका 34 : 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धि

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (गांवों/बस्तियों की संख्या)	उपलब्धि (गांवों/बस्तियों की सं.)
10 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक		#	3,254
11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12)			
1	2007-08	2,000	1,297
2	2008-09	1,500	326
3	2009-10	1,500	1,013
4	2010-11	1,500	1,537
5	2011-12	500	1,056
	जोड़	7,000	5,229
12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2014 तक)			
6	2012-13	निर्धारित नहीं	975
7	2013-14	निर्धारित नहीं	860
	जोड़	निर्धारित नहीं	1,835
	कुल जोड़		**10,318**

स्रोतः एमएनआरई

एमएनआरई ने आंकड़े उपलब्ध नहीं करे।

उपरोक्त तालिका 34 से पता चलता है कि आरवीई कार्यक्रम के तहत 2007–08 से कवरेज उत्तरोतर कम हो गई। एमएनआरई द्वारा वर्ष 2012–13 और 2013–14 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। एमएनआरई ने कहा (जुलाई 2015) कि उन्होंने 2007–14 की अवधि के दौरान 13,059 गांवों/बस्तियों की मंजूरी दी थी, जिसमें से 11,308 का विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया था। तालिका 34 में दर्शायी गई वर्षवार उपलब्धियों का जोड़ एमएनआरई के द्वारा 2007–14 की अवधि के लिए बताई गई उपलब्धि से मेल नही खाता था।

यह भी देखा गया कि केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का निर्गमन, 2007–08 में ₹ 132.81 करोड़ से कम होकर 2013–14 में ₹ 17.92 करोड़ रह गया जो आरवीई लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था।

लक्ष्य निर्धारण तथा उपलब्धि के सभी मापदण्डों में ऐसे व्यापक बदलाव योजना प्रक्रिया तथा एमएनआरई के विवरण (डेटा) की विश्वनीयता पर संदेह दिखाता है।

2.1.1. लक्ष्यों की कम उपलब्धि

आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल तथा नागालैण्ड ने एमएनआरई की संस्वीकृति के अनुसार गांवों/बस्तियों में विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया। हांलाकि, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस योजना के तहत एमएनआरई द्वारा संस्वीकृत सभी गांवों/बस्तियों को कवर नही किया।

2.1.2. आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त गांवों/बस्तियों की कवरेज

आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में आरईसी द्वारा पात्र के रूप में पहचाने गए गांवों/बस्तियों की अपेक्षा अधिक गांवों/बस्तियों को शामिल किया गया। जो यह दर्शाता है कि अयोग्य गांवों/बस्तियों का आरवीई कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। जिन राज्यों में आरईसी के तहत पात्र के रूप में गांवों/बस्तियों की पहचान की गई परन्तु वास्तविक कवरेज से कम थे, तालिका 35 में दिए गए हैं।

तालिका 35: राज्य जिन्होंने आरईसी द्वारा पात्र के रूप में पहचान की तुलना में अधिक गांवों/बस्तियों को कवर किया।

राज्य	आरईसी द्वारा सत्यापित गांवों/बस्तियों की संख्या	2013–14 तक पूर्ण किए गए गांवों/बस्तियों की संख्या
गोवा	0	19
हरियाणा	149	241
हिमाचल प्रदेश	1	20
त्रिपुरा	583	606

2.1.3. राज्यों द्वारा अनुचित नियोजन

आरवीई मार्गनिर्देशों के अनुसार, आरईसी द्वारा प्रमाणन के आधार पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कवर किए गए गांव/बस्तियाँ आरवीई के कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए पात्र नही थे। हालांकि ऑडिट ने इस संबंध में कुछ राज्यों में भिन्नता देखी। राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

असम

i. राज्य सरकार ने आरवीई कार्यान्वित करने के लिए तीन एजेंसियां–असम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (1,057 गांवों के लिए), असम ऊर्जा विकास एजेंसी (एईडीए) (920 गांवों के लिए) और वन विकास एजेंसी (162 गांवों के लिए) अधिसूचित कीं। नवम्बर 2014 तक 191 गांव विद्युतीकृत किए जाने को शेष थे परन्तु गांवों के बीच प्राथमिकीकरण के आधार का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। गांव के सभी निवासी कवर नहीं किए गए थे और व्यक्तिगत लाभार्थी के चयन का आधार भी अभिलेख में नहीं था।

ii. ऑडिट ने पाया की विद्युतीकरण के लिए पहचाने गए 206 गांवों में से एक गाँव में कोई लाभार्थी नहीं था, दस गांव पहले से ही विद्युतीकृत हो गए थे तथा चार गांव ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कवर किए गए थे। आरवीई कार्यक्रम के तहत विद्युतीकृत किए गए चार गांवों को पहले से ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कवर कर लिया गया था। फरवरी 2008 में मंजूर डीपीआर के अनुसार, धुबरी जिले के 19 गांवों के वास्तव में मौजूद लाभार्थियों की संख्या में विशाल अंतर था जिससे योजना के कार्यन्वयन में चार साल की देरी हुई।

छत्तीसगढ़

आरईसी ने आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत 10 गांवों के विद्युतीकरण हेतु डीपीआर तैयार की। तथापि कार्यक्रम मार्गनिदेर्शों की अवहेलना में कुरकुरिया गांव (जशपुर जिला) का विद्युतीकरण सौर शक्ति के माध्यम से सीआरईडीए द्वारा किया गया था। इसी प्रकार आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत कवर किए गए 85 गांवों में से नौ और गांव सीआरईडीए द्वारा विद्युतीकृत किए जा रहे थे।

झारखण्ड

झारखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए) के पास राज्य में अविद्युतीकृत गांवों की सम्पूर्ण सूची नहीं थी। 2007–14 के दौरान उन्होंने 792 गांवों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की परन्तु 2007–08 तथा 2012–14 के दौरान एमएनआरई को प्रस्ताव नहीं भेज सका। इसलिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम केवल 251 गांवों के लिए एमएनआरई द्वारा संस्वीकृत किए गए। तथापि 2007–14 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 353 गांव[1] शामिल किए गए थे।

जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी (जेएकेईडीए) ने विद्युत की मांग और आरई स्रोतों की उपलब्धता के निर्धारण के लिए दूरस्थ गांवों का सर्वेक्षण नहीं किया था। अतः इस तथ्य के बावजूद कि जेएकेईडीए ने एमएनआरई से ₹ 2.86 करोड़ प्राप्त किए थे, जो अननुमोदित मदों जैसे पांच वाहनों, पैट्रोल, तेल, लुब्रिकेंटों की खरीद, यात्राभत्ता हवाई किराए, होटलों में लंच, वाहनों की मरम्मत, वाहन किराए पर लेना, कार्यालय उपकरण, मजदूरी आदि पर 2008–14 के दौरान उपयोग किए गए थे, डीपीआर और लाभार्थियों की सूची तैयार नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएनए ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई दूरस्थ गांवों/लाभार्थियों की सूची पर विश्वास किया जिनकी संबंधित उपायुक्तों द्वारा संवीक्षा की गई थी। दूरस्थ गांवों/लाभार्थियों की सूची बनाने के लिए ग्रामीण विकास द्वारा अपनाया गया मानदण्ड अभिलेखों में नहीं था। यह देखा गया कि विद्युतीकरण के लिए दीर्घावधि तथा लघु अवधि लक्ष्य निर्धारित नही किए गए थे।

एमएनआरई ने कहा (मई 2015) की लाभार्थी की पहचान और बिजली की मांग का सर्वेक्षण राज्य का विषय है तथा व्यय के संदर्भ में जेएकेईडीए से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एमएनआरई ने सीएफए के उपयोग पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के माध्यम से या अन्य माध्यम से नजर नही रखी थी।

ओडिशा

आरवीई कार्यक्रम ₹ 51.77 करोड़ के सीएफए और ₹ 21.93 करोड़ की राज्य वित्तीय सहायता से 2007–12 के दौरान ग्यारह जिलों में लागू किया गया था। 1,621 गांवों का लक्ष्य राज्य सरकार की अनिर्णय की स्थिति के कारण पांच माह से तीन वर्षों के बीच विलम्ब के बाद विद्युतीकृत हो पाया। इसके अलावा वित्तीय सहायता का राज्य हिस्सा जारी करने में विलम्ब, कार्यान्वयन हेतु तन्त्र अन्तिम करने में प्रशासनिक विभाग[2] की ओर से विलम्ब और विक्रेताओं को आदेश देने में परिणामी देरी आदि के कारण 2008–10 की अवधि से संबंधित ₹ 1.45 करोड़ का सीएफए वापस करना पड़ा (जनवरी 2013)।

---

1 102 गांवों के लिए आरवीई 2006–07 में संस्वीकृत की गई थी।

2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ओडिशा सरकार।

पश्चिम बंगाल

24 गांवों में से छः गांव निविदा आमंत्रण में विलम्ब के कारण कवर नहीं किए गए थे। इसके अलावा एसएचएल प्रणाली द्वारा 18 गांवों के विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया था परन्तु परियोजना अभी आरम्भ नहीं हुई थी। एमएनआरई ने कहा (मई 2015) कि बैठक, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य को कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा गया है।

2.2. कार्यक्रम का वित्तपोषण

एमएनआरई मार्गनिर्देशों के अनुसार, आरई उत्पादन प्रणाली की लागत का 90 *प्रतिशत* का सीएफए अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाना था जो अधिकतम मात्रा के अध्याधीन था और शेष लागत राज्य निधियों, लाभार्थियों, या अन्य स्रोतों से योगदान के माध्यम से वित्तपोषित की जानी थी।

इसके अलावा सीएफए का 70 *प्रतिशत* संस्वीकृति के साथ जारी किया जाना था। राशि यथासम्भव शीघ्र उपयोग की जानी थी। यदि निधियों का उपयोग सम्भव नहीं होता तो उन्हें ब्याजधारी अलग बैंक खाते में रखा जाना था और उपार्जित ब्याज सीएफए के प्रति क्रेडिट किया जाना था। 30 *प्रतिशत* की दूसरी किस्त एसएनए/स्वतन्त्र निकायों से उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरणी और आवधिक निगरानी रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद जारी होनी थी।

2.2.1. सीएफए के निर्गमन और उसके उपयोग में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमएनआरई द्वारा सीएफए जारी न करना, कार्यक्रम के लिए निर्धारित अनुपातों में सीएफए जारी न किया जाना, सीएफए को ब्याज रहित खाते में रखा जाना आदि मुद्दे थे। राज्यवार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

असम

2005–14 के दौरान एमएनआरई ने ₹ 62.13 करोड़ के सीएफए से 882 गांवों को कवर कर आठ पैकेज संस्वीकृत किए। मार्गनिर्देशों के अनुसार 70 *प्रतिशत* की आरम्भिक किस्त संस्वीकृति के साथ जारी की जानी थी। ऑडिट ने देखा कि पांच पैकेजों में एमएनआरई ने केवल 0.38 *प्रतिशत* से 31 *प्रतिशत* तक आरम्भिक किस्त जारी की और बाद की किस्तें 32 से 1,627 दिनों के बीत जाने के बाद जारी की गई थीं। ₹ 12.20 करोड़ का सीएफए एमएनआरई द्वारा अभी तक जारी नही किया गया था। पर्याप्त किस्तों के समय से जारी न करने से परियोजना की निर्बाध प्रगति पर असर पड़ा। एईडीए ने 652 से 1,755 दिनों के विलम्ब से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। इसके अलावा प्राप्त सीएफए के लिए एईडीए के पास ब्याजधारी खाता नहीं था जिसके कारण कार्यक्रम के चरण 1 के दौरान ₹ 67.72 लाख के ब्याज की हानि हुई।

मेघालय

दो परियोजनाओं में (70 और 66 दूरस्थ के गांव) एमएनआरई ने ₹ 2.18 करोड़ तथा ₹ 1.68 करोड़ की सीएफए जारी की परन्तु मार्गनिर्देशों के विपरीत बिना ब्याज के खाते में रखी जिसके कारण ₹ 9.78 लाख के ब्याज की हानि हुई।

एमएनआरई ने मार्गनिर्देशों के उल्लंघन और तीसरे पक्ष द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन ना करने के कारण, क्रमशः ₹ 0.89 करोड़ तथा ₹ 0.71 करोड़ की अन्तिम किस्त पर रोक लगा दी।

ओडिशा

वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओआरईडीए) ने न तो अलग बैंक खाते में निधि रखी और न ही उस खाते में अप्रयुक्त निधियों का ब्याज क्रेडिट किया। इस प्रकार ₹ 15.84 लाख से ₹ 10.63 करोड़ तक के सीएफए 15 से 652 दिनों के बीच की अवधि के लिए उपयोग बिना अबरूद्ध हो गए थे जिसके कारण ₹ 1.72 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। ओआरईडीए ने बताया कि इस कारण उपार्जित ब्याज कार्यक्रम के निष्पादन में अनेक आकस्मिक खर्चो को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तथापि यह देखा गया था कि निधियों पर अर्जित ब्याज की पहचान नहीं की गई थी और सीएफए में नहीं जोड़ा गया।

राजस्थान

2011–13 वर्षों के दौरान एमएनआरई ने 12,941 एसएसएलएस के संस्थापन हेतु ₹ 13.41 करोड़ संस्वीकृत किए। यद्यपि प्रणालियां प्रतिष्ठापित की गई थीं परन्तु तीसरी पार्टी मूल्यांकन के अभाव में एमएनआरई ने ₹ 3.29 करोड़ जारी नही किए थे।

2.2.2. लाभार्थी हिस्से के संग्रह में अनियमितताएं

राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

असम

i. लेखापरीक्षा में देखा गया की 305 गांवों के एसएचएलएस के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ₹ 2.72 करोड़ लाभार्थी हिस्सा अधिक संग्रह किया गया था।

ii. एमएनआरई द्वारा तय कीमत पर असम ऊर्जा विकास एजेंसी (एईडीए) ने प्रणालियां नहीं खरीदीं जिससे ₹ 28.33 लाख का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार और लाभार्थियों के बीच साझा करना पड़ा।

जम्मू एवं कश्मीर

₹ 750 प्रति एसएचएलएस और ₹ 500 प्रति सौर लालटेन का लाभार्थी हिस्सा इन उपकरणों को जारी करने से पूर्व वसूल किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा कि 2009–13 के दौरान जारी प्रणालियों के लिए मार्च 2014 तक ₹ 25 लाख के लाभार्थी हिस्से के रूप में जिला अधिकारियों के पास बकाया थे। इसके अलावा लाभार्थी हिस्से की वसूली के लिए सुस्पष्ट तन्त्र नहीं बनाया गया था क्योंकि वसूली किए जाने वाला लाभार्थी हिस्सा एसएचएलएस वितरण सूचियों में नहीं दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप जिला अधिकारी, बारामूला ने अनुमोदित राशि के स्थान पर जाबला और गखरोटे गांवों में ₹ 1,600 से ₹ 3,000 के बीच लाभार्थी हिस्सा संग्रहित किया था (2011–12)।

3. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

ऑडिट ने परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी अयोग्य ठेकेदारों को ठेका देना, प्रकाश व्यवस्था का अनियमित वितरण और दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण प्रणालियों की अधूरी/गैर–स्थापना के मामले देखे। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

3.1. परियोजनाओं के समापन में विलम्ब

एमएनआरई संस्वीकृतियों के अनुसार सभी परियोजनाएं निधियों के निर्गमन के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण की जानी थीं। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजनाओं के समापन में असाधारण विलम्ब हुए थे। राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

छत्तीसगढ़

आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत एमएनआरई ने 314 गांवों के लिए ₹ 23.18 करोड़ संस्वीकृत किए और 2007–09 के दौरान ₹ 16.21 करोड़ जारी किए। सीआरईडीए ने 252 गांवों का विद्युतीकरण कार्य निष्पादित किया था। एमएनआरई ने सात वर्षों के बाद भी शेष सीएफए जारी नहीं किया था क्योंकि गांवों में विद्युतीकरण कार्य कानून व्यवस्था की समस्या के वजह से पूर्ण नहीं हो सका था।

मेघालय

70 गांवों की एक परियोजना जिसे मार्च 2007 में मंजूरी दी थी, 22 माह के विलम्ब से पूर्ण हुई क्योंकि राज्य हिस्सा समय पर जारी नहीं किया गया था और गांवों[3] की सूची में परिवर्तन हुए थे और परिवारों[4] की संख्या में वृद्धि हुई थी। 66 गांवों की दूसरी परियोजना जो मार्च 2010 में मंजूर हुई थी दो माह के विलम्ब से (मई 2011) में पूर्ण हुई थी और केवल 52 गांव विद्युतीकृत[5] किए गए थे क्योंकि 11 गांव अन्य योजनाओं द्वारा शामिल किए गए थे तथा तीन गांव में लोग नही रह रहे थे।

एमएनआरई ने (मई 2015) में कहा की विडियो सम्मेलनों और बैठकों के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

3.2. निधियों का उपयोग न करना और विपथन

लेखापरीक्षा ने देखा कि निधियों का उपयोग न करने और निधियों के विपथन के मामले हुए थे। राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

बिहार

2007–08 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 20 लाख की राशि गत छः वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि बीआरईडीए द्वारा कोई परियोजना आरम्भ नहीं की गई थी। इसके अलावा 2012–13 के दौरान इस राशि में से ₹ 0.52 लाख राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस को अन्तरित किए गए थे। बीआरईडीए ने तथ्य स्वीकार कर लिए।

---

3 मूल सूची में 12 गांव बदले जाने थे क्योंकि 11 गांव अनिच्छुक थे और एक छोड़ दिया गया था।

4 परिवारों की कुल संख्या में वृद्धि हुई थी जिसके कारण 1,570 एसएचएलएस के संस्थापन में वृद्धि हुई।

5 छः गांव पहले ही एमईईसीएल द्वारा विद्युतीकृत थे, इसके द्वारा पांच गांव जनजातीय मामले मंत्रालय कार्यक्रम/अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए थे और तीन गांव निर्जन थे।

छत्तीसगढ़

एमएनआरई ने (जून 2007) गांव कछार के विद्युतीकरण के लिए ₹ 2.14 करोड़ की राशि मंजूर की थी। इसके बजाय तीन गांवों (अरसिया, लालपानी, तुमनार) में विद्युतकरण का कार्य ₹ 59.40 लाख के एमएनआरई के हिस्से के उपयोग से कर लिया गया था। इसके अलावा संस्वीकृत परिवारों, एसएचएलएस एसएलएस, विद्युत संयत्रों की संख्या में विचलन के मामले भी देखे गए थे। कुछ गांवों में एसपीवी विद्युत संयंत्र, का संस्थापन संस्वीकृत किया गया था परन्तु कोई विद्युत संयंत्र संस्थापित नहीं किया गया था और विद्युतीकरण एसएचएलएस तथा एसएलएस के माध्यम से ही किया गया था।

एमएनआरई ने कहा (मई 2015) की अंतिम अदायगी के दौरान, सीएफए उन्हीं गांवों के लिए वितरित किया गया जो अनुमोदित थे तथा कोई विचलन पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया गया। उत्तर तर्क संगत नही था क्योंकि गांवों में विद्युतीकरण संस्वीकृति के अनुसार नहीं किया गया था।

3.3. अयोग्य ठेकेदारों को ठेका देना

एमएनआरई मार्गनिर्देशों के अनुसार ठेकेदारों को कार्य देने में प्रतियोगी बोली आमंत्रण प्रक्रिया अपनाई जानी थी। एसपीवी प्रणालियों के लिए एमएनआरई प्राधिकृत जांच केन्द्र से वैध जांच प्रमाणपत्रधारी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की जानी थी। राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

जम्मू एवं कश्मीर

जेएकेईडीए ने (26 अक्तूबर 2009) ₹ 11.24 करोड़ के 11,227 एसएचएलएस[6] की आपूर्ति के लिए आदेश[7] दिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि आपूर्ति आदेश जेएकेईडीए बोर्ड के अनुमोदन बिना दिया गया था और इसे, सीईओ और आयुक्त/सचिव द्वारा संयुक्त रूप से चैक हस्ताक्षर किए जाने से बचने के उद्देश्य से 14 आपूर्ति आदेशों में विभक्त किया गया था। मामले को गम्भीरता से लेते हुए मंत्री[8] ने आपूर्ति आदेश को रद्द करने का आदेश दिया (नवम्बर 2009)। तथापि जेएकेईडीए ने महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएसएण्डडी) को दिया गया आदेश रद्द नहीं किया। इसके अलावा डीजीएसएण्डडी दर करार 31 अक्तूबर 2009 को समाप्त होना था। प्रणालियों के लिए नया डीजीएसएण्डडी की दर करार पूर्व दर करार (₹ 12,978) की अपेक्षा कम (₹ 12,500) था जिसके कारण ₹ 32.81 लाख की हानि हुई।

एमएनआरई ने कहा (मई 2015) कि अंतिम अदायगी के समय एसएनए को प्रमाणित करना होगा कि ठेकेदार के चयन करने में सीवीसी के मार्गनिर्देशों का पालन किया गया था।

---

6 मै० भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० मेक के 6,872 एसएचएलएस और मै० कोटक ऊर्जा प्रा० लि० मेक के 4,355 एसएचएलएस।

7 महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएसएण्डडी), नई दिल्ली के पास।

8 विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

नागालैण्ड

मै० कूवे मेरो जिसने तकनीकी और वित्तीय बोली दोनों में अर्हता प्राप्त की थी, ने एसएचएलएस तथा एसएसएलएस की आपूर्ति हेतु निविदाकारों में निम्नतम दर उद्धत की थी। तथापि आपूर्ति आदेश मै० कूवे मेरो द्वारा उद्धरित की अपेक्षा उच्च दर मै० कुओविसी रियो और मै० केवी चैदी को दिए गए थे। उच्च दर पर बोलीदाता के चयन का औचित्य अभिलेख में नहीं था। इसके कारण ₹ 26.60 लाख का परिणामी अधिक व्यय हुआ था।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (डीएनआरई) ने तथ्य स्वीकार कर लिया और बताया कि यद्यपि ठेका देने के लिए निम्नतम दर की सिफारिश की गई थी परन्तु सरकार ने उच्च बोलीदाता को ठेका देने की सिफारिश की थी। तदनुसार आपूर्ति आदेश जिन्होंने उच्च दर उद्धरित की थी, को जारी किया गया था।

3.4. आरबीई प्रणालियों की अधिक अनियमित वितरण

एमएनआरई मार्गनिर्देशों के अनुसार आरवीई प्रणालियों का कार्यान्वयन प्राधिकृत गांव/जिला स्तर अधिकारियों/निकायों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि गांव विद्युतीकरण किया गया है और कि कार्य संस्वीकृति आदेश/डीपीआर (एसएचएलएस के लिए) के अनुसार किया गया था। इसके अलावा एसएनए/स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा आवधिक निगरानी किया जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट एमएनआरई को प्रस्तुत की जानी चाहिए। एमएनआरई भी एसएनए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से परियोजना की प्रगति का निगरानी करे, जिससे कि आरवीई प्रणालियाँ एमएनआरआई मंजूरी प्रति के रूप में वितरित हो।

राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

जम्मू एवं कश्मीर

i. चार नमूना जांचित जिलों में अभिलेखों ने दर्शाया कि 148 गांवों के 25,016 परिवारों के लिए 25,016 एसएचएलएस अनुमोदित किए गए थे परन्तु जेएकेईडीए ने केवल 22,690 एसएचएलएस खरीदे और 10,324 एसएचएलएस वितरित किए गए थे और 3,382 एसएचएलएस बिना एमएनआरई के अनुमोदन के, 34 अननुमोदित गांवों/बस्तियों में वितरित किए गए थे और 8,984 एसएचएलएस 37 विद्युतीकृत बस्तियों में बांटे गए थे। राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि गांव जो एमएनआरई से संस्वीकृत प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान विद्युतीकृत किए गए थे, छोड़ दिए गए थे और केवल अविद्युतीकृत गांव शामिल किए गए थे। तथापि लेखापरीक्षा में देखा कि लाभार्थियों के बीच एसएचएलएस के वितरण हेतु एमएनआरई से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की उचित प्रक्रिया अपनाई नहीं गई थी और एसएचएलएस विद्युतिकृत बस्तियों में वितरित किए गए।

ii. जेएकेईडीए की कार्यकारी समिति ने (मई 2009) में फैसला किया कि जो अस्पताल उपयुक्त रूप से ग्रिड से जुड़े है को बैकअप के रूप में एसपीपी की आवश्यकता नही होगी और एसपीपी केवल आरईसी द्वारा बताए गए गांवों में (स्वास्थ्य केन्द्रो) में स्थापित का फैसला किया जो विद्युत के बिना थे। तथ्य हांलाकि बताते है कि 47 एसपीपी उन जिला/उप जिला अस्पतालों में स्थापित किऐ गए जो ग्रिड से जुड़े थे। इसी तरह 40 एसएसएलएस (मूल्यः ₹ 10 लाख) जम्मू के चार अस्पताल में स्थापित (नबम्वर 2011) किए गए जो पहले से ग्रिड़ आधारित एसएसएलएस से जुड़े थे।

3.5. आरवीई प्रणालियों का अपूर्ण/परिनियोजन न करना

लेखापरीक्षा में देखा कि आरवीई प्रणालियों के अपूर्ण संस्थापन और आरवीई प्रणालियों के परिनियोजन न किए जाने के मामले हुए थे। राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

जम्मू एवं कश्मीर

एमएनआरई ने 1,04,118 एसएचएलएस/एसएसएलएस के संस्थापन/वितरण हेतु 2007–14 के दौरान ₹ 64.32 करोड़ का सीएफए जारी किया था। तथापि मार्च 2014 तक केवल 48,298 (46 *प्रतिशत*) एसएचएलएस वितरित किए गए थे।

झारखण्ड

एमएनआरई मार्गनिर्देशों के अनुसार गांव में संस्थापित आरवीई प्रणलियां पुनः परिनियोजित की जानी चाहिए यदि गांव आरवीई प्रणालियों के संस्थापन के कम से कम पांच वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्रिड को जोड़ा गया था।

तथापि लेखापरीक्षा में देखा कि पूर्वी सिंह भूमि में पोटका ब्लाक के 14 गांवों में संस्थापित आरवीई प्रणालियां (एसएचएलएसः 902 और एसएसएलएसः 89) आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत ग्रिड सम्बद्धता पाने पर पुनः परिनियोजित नहीं की गई थी।

उत्तराखण्ड

राज्य सरकार ने ₹ 0.81 करोड़ से 502 गृहस्थियों के 2,700 निवासियों को विद्युत प्रदान करने के लिए आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत पिंसवाड (50 कि.वा) और कोठीझाला (200 कि.वा) में दो लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण अनुमोदित किया (दिसम्बर 2008) था। दोनों परियोजनाओं का निर्माण ऊर्जा समिति द्वारा रूचि की कमी, ड्राइंग में विचलन, अवमानक कार्य (मई 2011) और जून 2013 में प्राकृतिक आपदा द्वारा की गई हानि के कारण, ₹ 0.43 का व्यय होने के बाद बन्द कर दिया गया (दिसम्बर 2012) था। एमएनआरई (मई 2015) नें कहा की एसएनए ने सूचित किया की कार्य प्रगति पर था।

पश्चिम बंगाल

एमएनआरई ने सुन्दरबन के 18 दूरस्थ गांवों का विद्युतीकरण में 23,845 गृहस्थियों को एसएचएलएस और 2008 एसएचएलएस प्रदान करने के लिए ₹ 36.73 करोड़ संस्वीकृत कर, सीएफए ₹ 21.60 करोड़ जारी करे (फरवरी 2010) ।

लेखापरीक्षा में देखा कि लाभार्थी सूची के अन्तिमीकरण में विलम्ब, निविदा आमंत्रण में विलम्ब और अवसंरचनात्मक सहायता के अभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था (सितम्बर 2014)। यद्यपि केवल ₹ एक लाख खर्च किया गया था परन्तु एमएनआरई को पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया था। एमएनआरई ने (मई 2015) कहा की वह एसएनए द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। हालांकि इस मामलें में डब्ल्यूबीआरईडीए से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी और डब्ल्यूबीआरईडीए को इस परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिया गया है।

4. निगरानी और मूल्यांकन

एमएनआरई मार्गनिर्देशों के अनुसार सम्बन्धित राज्य विभागों/कार्यान्वयक एजेंसियों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन का सघन निगरानी और एमएनआरई को आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना था। अन्तिम किस्त जारी करने के पूर्व परियोजनाओं के समापन बाद स्वतन्त्र, प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तीसरा पक्ष निगरानी अनिवार्य था। एमएनआरई ने स्वतन्त्र प्रतिष्ठित, एजेंसी द्वारा तीसरा पक्ष निगरानी के लिए कार्यान्वयक एजेंसियों को सेवा प्रभार के रूप में ₹ 50,000 प्रति गांव प्रदान किए थे।

इसके अतिरिक्त संस्थापन के बाद प्रणालियों की कार्यात्मकता सुनिश्चित करना कार्यान्वयक एजेंसियों का उत्तरदायित्व था और उनके द्वारा आवधिक निगरानी भी किया जाना था। जिला/गांव स्तर एजेंसियों सभी परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में सघनता से सम्बद्ध किए जाने थे।

एमएनआरई को भी स्वयं सीधे अथवा उनके द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना था।

नमूना लेखापरीक्षा में एसएनए और एमएनआरई के द्वारा निगरानी में कमियां का पता चला था। राज्यवार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए है।

अरूणाचल प्रदेश

अरूणचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (एपीईडीए) ने आरवीई कार्यक्रम 2005–06 के अन्तर्गत एसएचएलएस के संस्थापन बाद केवल एक बार ही अरूणाचल प्रदेश आदित्य सोलर सोसाइटी, ईटानगर (एनजीओ) द्वारा तीसरा पक्ष निगरानी संचालित किया गया। हलांकि कार्यरत एसएचएलएस की संख्या का कोई डेटा नहीं था। एमएनआरई ने (मई 2015) में कहा मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में एपीईडीए से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

असम

तीन[9] कार्यान्वयक एजेंसियों ने असम वित्त निगम, आईआईटी गुवाहाटी, तेजपुर विश्वविद्यालय आदि से तीसरा पक्ष द्वारा प्रणाली मूल्यांकित कराईं गई। उल्लिखित कमियों में कार्य आदेश के अनुसार सभी प्रणालियों का संस्थापन न करना, अपर्याप्त प्रशिक्षण, चोरी की जा रही प्रणलियां, अन्यों को बेची/स्थानान्तरित प्रणलियां, लाभार्थी हिस्से का अधिक संग्रहण, ग्रिड सम्बद्ध विद्युत की मांगे ताकि गृहस्थियों की अन्य आवश्यकता पूरी की जा सके, बैटरियों के रख रखाव और प्रतिस्थापन के लिए कायिक निधियों का न बनाना, प्रणलियों पूर्ण सीमा तक कार्य न करना आदि शामिल किए गए थे।

छत्तीसगढ़

सीआरईडीए ने आरवीई परियोजनाओं के लिए प्रभारों के रूप में एमएनआरई से ₹ 1.09 करोड़ की राशि प्राप्त की परन्तु पूर्ण आरवीई परियोजनाओं का निगरानी और मूल्यांकन किसी भी एजेंसी/संगठन के माध्यम से नहीं किया गया था। एमएनआरई ने (मई 2015) में कहा कि तीसरा पक्ष की निगरानी, परियोजनाओं के अंतिम निपटान के लिए अनिवार्य है और सीआरईडीए को उसे, प्रस्तुत करने को कहा गया था।

[9] एईडीए,एपीडीसीएल और एफडीएज।

जम्मू एवं कश्मीर

i. लेखापरीक्षा में देखा कि एसएनए ने न तो आवधिक निरीक्षण किए और न ही स्वतन्त्र एजेंसी के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की। परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं का निष्पादन अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि चूंकि परियोजनाएं हाल ही में पूर्ण हुई थीं इसलिए तीसरा पक्ष निगरानी में विलम्ब हुआ और इसे शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि आरवीई 2007–08 से चल रहा था।

ii. आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत एसएचएलएस के संस्थापन के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय वितरण नीचे दिए व्यौरों के अनुसार अनुसूचित अवधि के अन्दर एमएनआरई को प्रस्तुत नहीं किए गए थे:

- फरवरी 2009 में संस्वीकृत 68 गांव, 77 गांवों (मार्च 2010), 27 गांवों (मार्च 2010), 80 गांवों तथा 20 बस्तियों (मार्च 2010) और 48 गांवों (जुलाई 2010) के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरणी 31 से 47 माह के विलम्ब के बाद जनवरी 2013 में एमएनआरई को प्रस्तुत किए गए थे;
- नवम्बर 2007 से फरवरी 2012 के दौरान संस्वीकृत 12 परियोजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरणी 14 तथा 36 माह के बीच विलम्ब के बाद अप्रैल 2010 से मई 2014 तक की अवधि दौरान एमएनआरई को प्रस्तुत किए गए थे; और
- 100 किलोवाट क्षमता के एक एसपीवी विद्युत संयंत्र संस्वीकृत (दिसम्बर 2011) के संस्थापन के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरणी, परियोजना का समापन न होने के कारण अगस्त 2014 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

केरल

लेखापरीक्षा में देखा कि एएनईआरटी द्वारा कोई निगरानी नहीं की गई थी जिससे आरवीई कार्यक्रम की शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन हुआ था।

महाराष्ट्र

i. 30 गांवों में तिमाही रिपोर्टें पांच वर्षों की पूर्ण अवधि के प्रति केवल दो से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तुत की गई थीं। शेष पांच गांवों[10] के संबंध में सम्पूर्ण अवधि की तिमाही रिपोर्टें एमईडीए के पास उपलब्ध नहीं थीं।

ii. 14 गांवों में गांव सेवकों ने एमईडीए को छमाही रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की थीं जिनके अभाव में सौर उपकरणों (घर/सड़क प्रकाश व्यवस्था) का कार्यचालन लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

iii. 2007–14 अवधि के दौरान पूर्तिकार द्वारा आयोजित विभिन्न लक्ष्य समूहों/पणधारियों के लिए सौर उपकरणों का प्रचालन करने के लिए प्रशिक्षण, अनुकूलन और जानकारी कार्यक्रमों पर रिपोर्टें लेखापरीक्षा को भेजी नहीं गई थीं। रिपोर्टों के अभाव में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण दिए गए थे अथवा नहीं।

[10] भाटपुर जिला गढ़ चिरौली, अहीर–खण्डी जिला पूना, चारमाली जिला जलगांव, गोंगवाडा और रमेशगुडम जिला गढ़ चिरौली।

मेघालय

तीसरा पक्ष की निगरानी केवल 70 गांवों की परियोजना के लिए निजी सलाहकारों द्वारा कि गई थी। निगरानी रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रणालियों के 97.49 *प्रतिशत* सर्वेक्षण के समय पर उपलब्ध पाए गए थे। तथापि 52 गांवों के विद्युतीकरण की अन्य परियोजना के लिए तीसरा पक्ष की निगरानी रिपोर्ट के अभाव में परियोजना कार्यान्वयन के प्रभाव लेखापरीक्षा के सूनिश्चित नही किया जा सका।

नागालैण्ड

डीपीआर के अनुसार परियोजना की दीर्धावधि पोषणीयता, राजस्व के मासिक संग्रहण और आवधिक निगरानी हेतु गांव ऊर्जा प्रबन्धन बोर्ड (वीईएमबी) बनाया जाना था। तथापि वीईएमबी के वास्तविक कार्यचालन और डीएनआरई द्वारा इसके निगरानी के अभिलेख लेखापरीक्षा को भेजे नहीं जा सके। विभाग ने बताया कि एमएनआरई के मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी आठ गांवों में वीईएमबी बनाया गया था। तथापि के विभाग निर्देशों के बावजूद वीईएमबी के सदस्यों द्वारा राजस्व का संग्रहण नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश

लेखापरीक्षा में देखा कि एमएनआरई को निगरानी रिपोर्टें भेजने की कोई आवधिकता नहीं थी और वे तभी भेजी गई जब एमएनआरई द्वारा मांग की गई। तथापि रिपोर्टों की कोई प्रति लेखापरीक्षा को भेजी नहीं गई थी।

उत्तराखण्ड

एसएनए ने आरवीई के अन्तर्गत प्रणालियों की कार्यात्मकता दर्शाने के लिए कोई अभिलेख नहीं बनाया था जिसकी भौतिक सत्यापन के दौरान भी पुष्टि हुई थी।

एमएनआरई ने (मई 2015) में कहा कि आरवीई के प्रावधानों के तहत, रखरखाव और प्रणालियों के दीर्घकालिक स्थिरता मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/एसएनए की जिम्मेदारी थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एमएनआरई ने एक स्वंतत्र एजेंसी के माध्यम से खुद की निगरानी और मुल्यांकन करवाकर समस्याओं का संबोधन नहीं किया था।

5. अनुरक्षण

प्राणालियों के रखरखाव में कमियां नमूना राज्यों में देखी गई, जो उपयोगकर्ता शुल्क का कम संग्रह और व्यवस्था में कमियों के कारण थी। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

5.1. लाभार्थियों से सेवा प्रभारों का संग्रहण

कार्यक्रम के मार्गनिर्देशों के अनुसार अग्रभाग आधार और/अथवा मासिक आधार पर प्रयोक्ता प्रभार लाभार्थियों से उदग्रहीत किए जाने थे। जहॉ एसएचएलएस उपयोग किए जाते हैं वहॉ ₹ 20 प्रति माह या ₹ 10 प्रति माह स्थापित एसएचएलएस मॉडल के आधार पर प्रभार एकत्र किया जाना था। बैटरियों और अन्य संघटकों को बदलने के लिए इसका उपयोग करने के लिए यह धन अलग खाते में रखा जाना था। लाभार्थियों द्वारा इस राशि का भुगतान करने की सहमति संस्थापन से पूर्व प्राप्त की जानी थी। राज्य वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

असम

ऑडिट ने पाया की ग्रामीण विद्युतीकरण समितियाँ कार्यशील नही थी जिससे लाभार्थी हिस्सेदारी एकत्र नही हो रहा था, रखरखाव का मुद्दा ठेकेदारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नही उठाया जा रहा था और लाभार्थियों द्वारा बिजली और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के उपयोग की गैर निगरानी से प्रणालियों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ा था।

छत्तीसगढ़

सीआरईडीए ने गांवों में संस्थापित एसपीपी, एसएसएलएस और एसएचएलएस की एएमसी के लिए 2011–12 में निविदाएं आमंत्रित कीं। 2000–01 से 2013–14 तक की अवधि के दौरान 25,873 लाभार्थियों को कवर कर कुल 708 गांवों/बस्तियों विद्युतीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा में देखा कि लाभार्थियों से ₹ 20.45 लाख प्रयोक्ता प्रभार संग्रहीत नहीं किए गए थे।

गुजरात

गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए) ने गुजरात के 36 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए आरवीई कार्यक्रम 2005–06 के अन्तर्गत 509 एसएचएलएस और 39 एसएसएलएस के संस्थापन का ठेका दिया। इन ठेकों में ठेकेदार द्वारा एसएचएलएस के अनुरक्षण के लिए प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹ 20 प्रति प्रयोक्ता प्रति माह की वसूली का प्रावधान था। तीन ठेकेदारों, जिन्हें 509 एसएचएलएस संस्थापित करने थे, को पांच वर्षों की अवधि के लिए लाभार्थियों से ₹ 6.11 लाख वसूल कर जीईडीए के पास उन्हें जमा करना चाहिए था। लेखापरीक्षा में देखा कि केवल भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड (बीईएल) ने ₹ 30,500 संग्रहीत कर जीईडीए के पास जमा किया था। इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि बैटरियां के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक ₹ 5.80 लाख की कम वसूली हुई थी।

झारखण्ड

पांच गांवों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जेआरईडीए के पास अनुरक्षण के लिए लाभार्थी हिस्सा संग्रहीत करने की कोई प्रणाली नहीं थी। एसएनए ने तथ्य स्वीकार कर लिए।

जम्मू एवं कश्मीर

लेखापरीक्षा में देखा कि जेएकेईडीए ने 2008–13 के दौरान अविद्युतीकृत गांवों के परिवारों को 48,298 एसएचएलएस वितरित किए। तथापि लेखापरीक्षा में देखा कि एसएनए ने प्रयोक्ता प्रभारों के भुगतान के लिए लाभार्थियों से अपेक्षित सहमति प्राप्त नहीं की थीं जिसके कारण ₹ 1.16 करोड़ की वार्षिक हानि हुई।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2013 और जुलाई 2014) कि ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रयोक्ता प्रभारों के संग्रहण का प्रबन्ध करना काफी कठिन था क्योंकि जेएकेईडीए के पास इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी।

महाराष्ट्र

लेखापरीक्षा में देखा कि आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत 2007–14 की अवधि के लिए 35 गांवों में ₹ 36.53 लाख के मासिक प्रभार, गांव पंचायतों द्वारा 3,044 लाभार्थियों से वसूले नहीं गए थे।

मेघालय

पूंजीगत लागत के प्रति ₹ 1,500 और अनुरक्षण के प्रति ₹ 60 प्रति माह के लाभार्थी अंशदान का अनियमित संग्रहण हुआ था। इसके अलावा एमएनआरईडीए के पास संस्थापित प्रणालियों का कोई डाटाबेस नही था जो निगरानी की कमी दर्शाई है। एमएनआरई द्वारा भी इसकी जांच नहीं की गई थी।

नागालैण्ड

यद्यपि गांव ऊर्जा प्रबन्धन बोर्ड (वीईएमबी) के माध्यम से लाभार्थयों से ₹ 50 प्रति माह के संग्रहण की प्रणाली स्थापित की गई थी परन्तु नवम्बर 2014 तक कोई संग्रहण नहीं किए जा रहे थे।

एमएनआरई ने (मई 2015) में कहा की लाभार्थी से संग्रह एमएनआरई द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया था सफल कार्यान्वयन तथा प्रणालियों का अनुरक्षण राज्यों की जिम्मेदारी थी तथा पांच साल के बाद बैटरी के प्रतिस्थापन की प्रमाणित राज्य सरकार को करनी थी। उत्तर तर्क संगत नही था। क्योंकि एमएनआरई के मार्गनिर्देशों के अनुसार स्थापना से पहले, भुगतान करने की इच्छा लाभार्थियों से लिया जाना था।

5.2. अनुरक्षण प्रबन्धों के निष्पादन में कमियां

कार्यक्रम मार्गनिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का दीर्घावधि प्रचालन, अनुरक्षण और पोषणीयता सुनिश्चित करने के लिए पांच वर्षों की निम्नतम अवधि के लिए उचित एएमसी के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किए जाने थे। राज्यवार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

छत्तीसगढ़

i. गरियाबन्द जिले में एसपीपी/एसपीवी विद्युत संयंत्रों (2004 से 2008 के दौरान प्रतिष्ठापित) के माध्यम से 81 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। इन समूह में विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य आदेश मै० फ्रेंडस सोलर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को जारी किया गया था। शर्तों के अनुसार एसएसएलएस निम्नतम 25 दिनों के लिए परिचालन होने थे और 90 *प्रतिशत* एसएचएलएस एक माह में परिचालन होने चाहिए थे। 2010–14 की अवधि को निगरानी रिपोर्टों और भुगतान वाउचरों की संवीक्षा से पता चला कि एसएचएलएस और एसएसएलएस तथा विद्युत संयंत्र लगातार तीन से 10 महीनों के लिए निष्क्रिय रहे। उदाहरण के लिए पापलीखण्ड[11], कोचेंगा[12], कुरूवथ्था[13] तथा गाजीमुडा[14] में एसपीपी, माफंको, इनवर्टर की चोरी और बैटरी समस्याओं के कारण निष्क्रिय थे। इस प्रकार इन गांवों में पॉच से छः माह के लिए लगातार विद्युत नहीं थी। प्रणालियों के उचित अनुरक्षण की कमी के कारण ग्रामीणों को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। एसएनए ने तथ्य स्वीकार कर लिए (दिसम्बर 2014)।

ii. लेखापरीक्षा में यह देखा कि आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई निधि में से गॉव विद्युतीकरण संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) निधि के लिए प्रतिवर्ष ₹ एक करोड़ का प्रावधान किया जा रहा था और अवधि जमाओं (टीडी) में रखा गया था। टीडी का वर्तमान मूल्य ₹ 10 करोड़ था (मार्च 2014 तक)। इस प्रकार ओएण्डएम व्यय करने के लिए प्रावधानित निधि टीडीआर में रखी गई थी जो वित्तीय नियमों का उल्लघंन था।

[11] जून 2012 से अक्टूबर 2012।

[12] अक्तूबर 2010 से जनवरी 2011 एवं जून 2012 से दिसम्बर 2012।

[13] सितम्बर 2013 से नवम्बर 2013।

[14] जून 2012 से दिसम्बर 2012।

हरियाणा

एचआरईडीए ने प्रणालियों, जो जून–जूलाई 2006 में प्रतिष्ठापित किए गए थे, के अनुरक्षण के लिए पूर्तिकारों से व्यापक अनुरक्षण करार (सीएमसी) हस्ताक्षर किए और सीएमसी पांच वर्षों के लिए था जो जून 2011 में समाप्त हो गया। उसके बाद संयंत्र[15] के अनुरक्षण के लिए गांव स्तर अक्षय ऊर्जा समिति बनाई गई थी। कथित समिति ने संयंत्र के मरम्मत और अनुरक्षण के लिए लाभार्थियों से ₹ 60 के मासिक प्रभार संग्रहीत किए। ₹ 1.50 लाख के मासिक प्रभार दो वर्षों से पंचायतों से संग्रहीत किए गए थे। उसके बाद लाभार्थियों द्वारा शुल्क नही जमा कराया गया वांरटी के अवधि के समाप्ति के बाद सयंत्र निष्क्रिय रहे।

झारखण्ड

सीएमसी के अनुसार पूर्तिकारों के सेवा केन्द्रों को सेवा केन्द्र द्वारा कवर की गई प्रणालियों की संख्या,सन्तोषजनक कार्यरत प्रणालियों की संख्या, प्राप्त शिकायतों की संख्या, प्रबन्धित शिकायतों की संख्या, विफलता के प्रमुख कारण जैसे देखे गए और प्रमुख प्रतिस्थापन के संबंध में छमाही आधार पर जेआरईडीए को संक्षिप्त सेवा रिपोर्ट भेजनी थीं। परन्तु जेआरईडीए को सेवा केन्द्रों द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। उस रूप में जेआरईडीए निष्क्रिय प्रणालियों की संख्या और उनके कारणों से अनभिज्ञ था।

जम्मू एवं कश्मीर

लेखापरीक्षा में देखा कि एसएचएलएस का अनुरक्षण 13 पूर्तिकारों में से आठ द्वारा किया नहीं गया था क्योंकि इन पूर्तिकारों ने सम्बन्धित जिलों में सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किए थे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि डोडा जिले में स्थापित पांच सेवा केन्द्रों में से चार कार्य नहीं कर रहे थे (अगस्त 2014) और कि अनन्तनाग और पुंछ जिलों में सेवा केन्द्र स्थापित नही किए गए थे। इसके अलावा पांच वर्ष की वांरटी अवधि के दौरान मुफ्त अनुरक्षण किया जाना था। लेकिन गुरेज में स्थापित मै० कोटक ऊर्जा के सेवा केन्द्र ने लाभार्थियों से ₹ 200 से ₹ 400 तक की फीस प्रभारित की। जेएकेईडीए ने दोषी पूर्तिकारों जिन्होने सेवा केन्द्र स्थापित नही किए और लाभार्थियों से फीस प्रभावित की, के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। तथ्य स्वीकार कर राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि जेएकेईडीए उचित सेवा केन्द्र स्थापित करना सुनिश्चित कर रहा था और ये आगे सुदृढ़ किए जाएगें।

केरल

करार के अनुसार निवारक/नियमित अनुरक्षण प्रत्येक चार/छः माह में कम से कम एक बार निर्माता द्वारा किया जाना था। प्रभावी अनुरक्षण करने के लिए विनिर्माता द्वारा प्रत्येक 500 एसपीवी प्रणालियों के लिए कम से कम एक सेवा केन्द्र विकसित किया जाना था। परन्तु ऐसा किया नहीं गया था।

नागालैण्ड

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (डीएनआरई) विभाग ने पांच *प्रतिशत* अनुबंध समझौता का 'सुरक्षा जमा' का खण्ड मै० कुउवीसीरीओ और मै० केवी वाड़ी पर आपूर्ति आदेश देते समय सम्मिलित नहीं किया परिणाम स्वरूप आपूर्तिकारओं ने सुरक्षा जमा ₹ 4.59 लाख जमा नहीं किए। इसके अलावा डीएनआरई ने एएमसी के ₹ 4.59 लाख (अनुबंध समझौता का पांच *प्रतिशत*) प्रतिकारों को पूर्ण दे दिए जो एक *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्ष की अवधि में जारी करनी थी।

डीएनआरई ने कहा यह अनुभवहीनता और अनुवादन के वजह से यह हो गया परन्तु लाभार्थियों से कोई शिकायत नहीं मिली क्योंकि प्रणालियां सन्तोषजनक रूप से काम कर रही थी। लेकिन प्रणालियों के टूटने के मामले में आपूर्तिकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया बल्कि व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों द्वारा अनुरक्षण करा जा रहा था।

[15] एसपीवी ऊर्जा संयंत्र (पांच कि.वा.) बाबरवाली, खेरी, नागराशू, थनदोअट, खालोन और दोधला बस्तियां पंचकूला जिले में।

एमएनआरई ने (मई 2015) में कहा कि आरवीई कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत रख रखाव और दीर्घकालिक स्थिरता मुख्य रूप प्रणालियों से संबंधित राज्य सरकारों/एसएनए की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकारों को भी धन उपलब्ध कराने और आवश्यक बैटरी की प्रतिस्थापन और अन्य प्रमुख रख रखाव व्यय सुनिश्चित करना था। मंत्रालय द्वारा मजूंर सीएफए आपूर्तिकारों के साथ पांच वर्ष की एएमसी में शामिल है। मंत्रालय लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण जागरूकता शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि प्राणलियों के समूचित रख रखाव के अभाव में ग्रामीणों को बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नही की जा सकी थी। एएमसी भी एमएनआरई के मार्गनिर्देशों के अनुसार लागू नही हुई और सेवा केन्द्र भी स्थापित नहीं हुए। एमएनआरई ने भी आरवीई कार्यक्रम की कार्यप्रणाली की निगरानी नही की थी।

6. आरवीई कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थापित प्रणालियों का भौतिक सत्यापन

ऑडिट ने एक परीक्षण की जांच के आधार पर आरवीई प्रणालियों का एक भौतिक सत्यापन स्थापित प्रणालियों और उपयोगकर्ताओं द्वारा पेश आ रही समस्याओं को जानने के लिए किया। 11 राज्यों के 45 स्थानों के संबंधित निष्कर्ष तालिका 36 में दिए गए है। राज्य वार ब्यौरे **अनुबन्ध XVII** में दिए गए हैं:

तालिका 36: आरवीई प्रणालियों के भौतिक सत्यापन का सरांश

प्रणाली	निरीक्षित प्रणालियों की संख्या	निष्क्रिय प्रणालियों की संख्या	गायब प्रणालियों की संख्या	आपत्तियां
एसएचएलएस	2,527	532	177	बड़ी संख्या में प्रणालियां बैटरी विफलता के कारण बेकार पड़ी है, प्रयोक्ताओं को गुणवत्ता ग्रिड विद्युत की उपलब्धता और अनुरक्षण की कमी को देखा।
एसएसएलएस	345	48	6	लेखापरीक्षा में विलम्बित अनुरक्षण और पुर्जों की घटिया गुणवत्ता।
जैव मात्रा गैसी फायर संयंत्र	14	14	-	लेखापरीक्षा में देखा कि ग्रिड विद्युत की उपलब्धता के कारण इन प्रणालियों में प्रयोक्ता रूचि की कमी थी। इसके अलावा प्रणालियां अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों में प्रदान की गई थीं।
एसपीपी	1	1	-	प्रणाली कार्य नहीं कर रही है और निष्पादन बैंक गारंटी भुनाई नहीं गई थी।
लघु जल विद्युत	1	1	-	मशीनरी कमियों के परिणामस्वरूप संयंत्र निष्क्रिय हो गया।
जोड़	**2,870**	**548**	**183**	

नोटः लघु जल विद्युत (एसएचपी), सौर घर प्रकाश प्रणाली (एसएचएलएस), सौर स्ट्रीस लाइटिंग प्रणाणी (एसएसएलएस) और सौर ऊर्जा संयंत्र (एसपीपी)।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना प्रणलियों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि 20 *प्रतिशत* आरवीई प्रणालियां कार्य नहीं कर रही थीं और छः *प्रतिशत* प्रणालियां गायब पाई गई थीं।

एमएनआरई ने (मई 2015) में कहा कि ऑडिट द्वारा की टिप्पणी के संबंध में सभी राज्यों से स्पष्टीकरण मांगा जाऐगा।

7. निष्कर्ष

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य उन गांवों तथा बस्तियां जहॉ ग्रिड विस्तार के माध्यम से विद्युतीकरण या तो व्यवहार्य नहीं था अथवा लागत प्रभावी नहीं था, के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएनआरई ने 7,000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था और 5,229 गांवों का लक्ष्य प्राप्त किया। उत्तरोत्तर 2007–08 के वर्षों में दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत कवरेज, में गिरावट आई है। एमएनआरई ने वर्ष 2012–13 और 2013–14 के लिए कोई लक्ष्य नहीं तय किया था। सीएफए का निर्गम 2007–08 में ₹ 132.81 करोड़ से 2013–14 में ₹ 17.92 करोड़ तक कम हो गया था और यह दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था।

ऑडिट ने पाया कि कुछ राज्यों में एमएनआरई द्वारा मंजूर, और राज्यों द्वारा वास्तविक सूचना के आधार पर कवरेज तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा सत्यापित दूरदराज के गांवों की सूची के बीच बेमेल था। पहले से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कवर, असम और छत्तीसगढ़ के गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता की रिहाई और इसके उपयोग में अनियमितताएं के उदाहरण थे।

ऑडिट ने राज्यों में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमियों को अवलोकन किया। परियोजनाओं के पूरा होने पर अत्यधिक देरी, अयोग्य ठेकेदारों को ठेका देना, प्रकाश प्रणालियों का अनियमित वितरण और दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण प्रणालियों का अपूर्ण/परियोजन न करने के उदाहरण देखें गए।

प्रणालियों की कार्यक्षमता का साक्ष्य डेटा न रखने के उदाहरण देखे गए। निगरानी रिपोर्ट योजना मार्गनिर्देशों के अनुसार उपलब्ध नही थे। उपयोगकर्ता शुल्क के कम संग्रह और व्यवस्था में कमियों के कारण प्रणालियों के रखरखाव में कमी पाई गई।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूने प्रणालियों के भौतिक सत्यापन से पता चलता है कि 20 *प्रतिशत* दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण प्रणालियां काम नही कर रही थी और छः *प्रतिशत* प्रणालियाँ गायब पाई गई, जो घटिया रखरखाव को दर्शाती है।

8. सिफारिशें

- *एमएनआरई यह अवश्य सुनिश्चित करे की केवल पात्र गांव/बस्तियाँ और लाभार्थी ही दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाते है।*
- *एमएनआरई यह अवश्य सुनिश्चित करे की दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण प्रणालियों की दीर्धावधि प्रचालन, अनुरक्षण तथा पोषणीयता सुनिश्चित की जाती है।*